प्रेस नोट दिनांक 17.07.2021

इटावा पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

जनपद में महिला/बालिका संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रमं एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना चौबिया पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.07.2021 को 16 वर्षीय नाबालिग पीडिता द्वारा थाना चौबिया पर सूचना दी गयी कि दिनांक 15.07.2021 को वादिया शौच क्रिया के लिए खेत में गयी हुयी थी उसी समय गांव के ही कन्हैया,अनुज, मुनीष वहॉ आ गये और कन्हैया एवं मुनीष द्वारा मेरे हाथ-पॉव पकड लिए तथा अनुज द्वारा मेरे साथ दुष्कर्म किया । पीडिता की तहरीर के आधार पर थाना चौबिया पर मु0अ0स0 98/21 धारा 376,120 बी,भादवि व 3/4 पॉक्सों एक्ट तथा 3(2) (va) एससी/एसटी एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

प्रकरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना चौबिया से पुलिस टीम गठित की गयी । इसी क्रम में आज दिनांक 17.07.2021 को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा परौली रमायन तिराहा से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार की घटना को करना स्वीकार्य किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कन्हैया पुत्र उमेश निवासी शादीपुरा थाना चौबिया जनपद इटावा ।
2. अनुज पुत्र संतोष निवासी शादीपुरा थाना चौबिया जनपद इटावा ।
3. मुनीष कुमार पुत्र उदवीर सिहं निवासी शादीपुरा थाना चौबिया जनपद इटावा

<u>पुलिस टीम-</u> श्री मुकेश कुमार सोलंकी थानाध्यक्ष चौबिया ,उ0नि0 श्री रावेन्द्र सिहं ,का0 आदेश कुमार,का0 रामलखन , का0 कुलदीप, का0 संजय कुमार, का0 अनुज कुमार,का0 संदीप चौधरी

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा ।